

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी श्री विकास पंचोली (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 74/2020

अनवान

01. श्री कालु पुत्र सोला मुतबन्ना छोगा जी अहीर, निवासी औज्याडा।
02. श्री रतन पुत्र सोला जी अहीर निवासी औज्याडा।
03. श्री शंकर लाल पुत्र सोला अहीर नि. औज्याडा।
04. श्री सीताराम पुत्र उदा अहीर नि. औज्याडा।
05. श्री जडाई पत्नि स्व. श्री नन्दा अहीर नि. औज्याडा।
06. श्री शंकर लाल पुत्र श्री स्व0 श्री नन्दा अहीर नि. औज्याडा।
07. श्री राधेश्याम पुत्र स्व.श्री नन्दा अहीर नि. औज्याडा।
08. श्री किशन पुत्र चन्द्रा अहीर नि. औज्याडा।
09. श्रीमति सोनी पत्नी स्व0 श्री नारायण अहिर नि. औज्याडा।
10. श्री पप्पू पुत्र स्व0 श्री नारायण अहिर नि. औज्याडा।
11. श्री कमलेश पुत्र स्व0 श्री नारायण अहिर नि. औज्याडा।
12. टीनू पुत्र स्व0 श्री नारायण अहिर नि. औज्याडा।
13. रामेश्वर पुत्र स्व0 श्री नारायण अहिर नि. औज्याडा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा

—प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री शंकर लाल पुत्र श्री उदयलाल नि. औज्याडा।
2. श्रीमतिराधा पुत्री श्री भैरूलाल पत्नी कालूलाल अहीर नि. औज्याडा।
3. श्री मदनलाल पुत्र स्व0 श्री मांगीलाल सुथार नि. औज्याडा।
4. श्री लादुदास पुत्र स्व0 श्री उदादास वैष्णव नि. जोधसिंह का खेडा औज्याडा
5. श्रीमति जमना देवी पत्नी श्री कैलाश वैष्णव नि. औज्याडा।
6. श्रीमति गीता देवी पत्नी भगवान वैष्णव नि. औज्याडा।
7. श्री बंशीलाल पुत्र श्री केवलराम शर्मा नि. औज्याडा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 19.11.2020**

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 22.09.2020 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम औज्याडा पटवार हल्का औज्याडा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हमीरगढ तहसील हमीरगढ में उसके खाते की कृषि भूमि की आ.न. 956 रकबा 0.4426 है0, आ.न. 957 रकबा 0.0379 है0, आ.न. 965 रकबा 0.1897 है0 आ.न. 966 रकबा 0.1897 है0 कित्ता 04 कुल रकबा 0.8599 है0 भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 24.09.2020 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 से लगायत 07 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि ग्राम औज्याडा पटवार हल्का औज्याडा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हमीरगढ तहसील हमीरगढ में उसके खाते की कृषि भूमि की आ.न. 956 रकबा 0.4426 है0, आ.न. 957 रकबा 0.0379 है0, आ.न. 965 रकबा 0.1897 है0 आ.न. 966 रकबा 0.1897 है0 कित्ता 04 कुल रकबा 0.8599 है0 भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 300/- पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/-रु0 की नियमानुसार अदसयगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 19.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।



(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ